

गुरु घासीदास का युगीन परिदृश्य और उनका सामाजिक संघर्ष

डॉ. गोकर्ण दुबे एवं हेमन्त पाल घृतलहरे

घासीदास ने गुरु के पद को समाज के सर्वोच्च और वंशानुगत घोषित किया तथा अन्य किसी का भी पांव छूने से मना कर दिया। गुरु को छोड़कर शोषण आपस में समान है, वे एक दूसरे को 'सतनाम' कहकर अभिवादन करते हैं। समाज के सभी सांस्कारिक क्रियाओं को ब्राम्हण ही सम्पन्न कराता था। परन्तु घासीदास ने इसे अस्वीकार करते हुए इसका भार गुरु को सौंप दिया। आज भी सतनामी अपने किसी सांस्कारिक क्रिया को ब्राम्हण से नहीं कराते बल्कि गुरु उन्हें सम्पन्न कराता है।

गुरु घासीदास का जन्म सन् 1756 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि दिनांक 18 दिसम्बर की प्रातः बेला में वर्तमान रायपुर जिले के बलौदाबाजार तहसील में गिरौद नामक छोटे से ग्राम में मंहगू के पुत्र के रूप में अमरौतिन की कोख से हुआ था।

सन् सत्तरह सौ छप्पन लिखित, माघ पुनी शशिवासर।

अमरौतिन के लालभयो, बाढ़ी सुख अपारा। (1)

जब घासीदास 5 माह के हुए तभी अमरौतिन का स्वर्गवास हो गया। (2) अमरौतिन के तीन बेटे थे - ननकू, मनकू, घासी।

मंहगूदास को पत्नी के वियोग में काफी दुःख हुआ। बच्चों का देखरेख करते-करते उनकी रोजी मजदूरी का काम छूट गया। करुणा नाम की बाल विधवा से उन्होंने पुनर्विवाह किया जिससे मंहगू को दो पुत्र हुए - गंगा और जोगी। (3)

बचपन से ही घासीदास का स्वभाव अन्य बालकों से हटकर था। मनोहर दास नृसिंह के अनुसार-

ग्यारह वर्ष के भये कुमारा। शूद्र सरल चित्ता परम उदारा।।

आलस्य ईर्षा काहु नही करही। रहाह एकान्त मौन मन गहही।।

इस तरह "होनहार विरलजके, होत चीकने पात" वाली कहावत उन पर चरितार्थ होती है।

सोलह वर्ष की उम्र में उनका विवाह सफुरा नाम की कन्या से हुआ जो सिरपुर ग्राम के अंजोरी दास की पुत्री थी। (4)

गुरु घासीदास की पांच सन्तानें थी- सुभद्रा, अमरदास, बालकदास, आगरदास, एवं अडगढ़िया दास।

युगीन परिदृश्य :- उस समय धार्मिक कट्टरता, छूआछूत, ऊंचनीच की भावना भारतीय समाज में परिच्युत थी। जिसमें एक बहुत बड़े वर्ग का जीवन घुट-घुट कर रह गया था। निम्न

जातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता था।

" ब्राम्हण जातियों काफी पवित्रता कारक तथा प्रभावी और अछूत जातियों काफी अपवित्रता कारक मानी जाती थी। अछूतों का स्पर्श तो क्या, इनकी छाया पड़ना तक अपवित्रताकारी माना जाता था। सकासीन जातियों ने निम्न जातियों को निम्नतर व्यवसायों एवं अछूत स्थिति में बनाए रखने की कोशिश की।" (5)

डॉ. हीरालाल शुक्ल ने "गुरु घासीदासः संघर्ष, समन्वय और सिद्धान्त" (1995) के पेज 12 में लिखा है-

"न्याय नाम की कोई चीज नहीं थी। जातियों के आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण होता था। उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राम्हण किसी शूद्र का वध कर देता तो ज्यादा से ज्यादा उसको जुर्माना होता था। ठीक इसके विपरीत यदि कोई शूद्र ब्राम्हण का वध करता, तो उसे प्राणदण्ड दिया जाता था।"

खेत माल गुजार की सम्पत्ति होती थी। किसी व्यक्ति का किसी खेत पर स्थायी अधिकार नहीं होता था। खेतों पर काम करने वाले लोग केवल खेतिहर मजदूर हुआ करते थे।

घासीदास के पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कलचुरियों का राज्य था। अंतिम कलचुरि सामन्त मोहन सिंह को हटाकर बिम्बाजी भोंसला (1758-1787) छत्तीसगढ़ के शासक बने।

छत्तीसगढ़ में मराठों सूवदारों का प्रशासन 31 वर्षों (1788-1818) तक था। इसी अवधि में घासीदास युवावस्था से वृद्धावस्था में घोर पीड़ा से गुजर रहे थे। अराजकता की स्थिति से संपूर्ण छत्तीसगढ़ अवसाद ग्रस्त था। (6)

उस समय छत्तीसगढ़ में जादू, टोने, कर्मकाण्ड एवं अंधविश्वास चरम सीमा पर था। प्रत्येक गांव में बैगा होता था। प्रत्येक पर्वत, नदी, ग्राम, घर कुल के अलग-अलग देवी-देवता होते थे। इनके दैवी प्रकोप से बचने

के लिए पशु-पक्षियों एवं मानवों की भी बलि दी जाती थी।

" गांव में यदि कोई आकस्मिक मौत हो जाती, तो उसके पीछे किसी आत्मा का हाथ माना जाता था। अजीर्ण रोग का मतलब था कि किसी दुष्टात्मा की नजर लग गई है। परिवार में जब कोई हादसा होता, तो माना जाता था कि उस घर में प्रेमात्मा का वास है और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता था।" (7)

टोनही एवं संतान के नाम पर स्त्रियों का शारीरिक शोषण होता था उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी।

धर्म के ठेकेदार धर्म छोड़ चुके थे मठ-मंदिर, महाजनों के अड्डे बन गए थे। धर्म के नाम पर नरबलि जैसी कुप्रथा थी। पशुबलि तो आम बात थी। तंत्र-मंत्र की साधना का विकृत रूप टोनही तथा बैगा आदि का गांवों में आतंक व्याप्त था। धर्मस्थल व्यभिचार के अड्डे बन गए थे। मद्यमांस का सेवन समाज में आम बात थी। (8)

मराठा शासकों, आलासी, अकर्मण्य, महत्वकांक्षी जमींदारों एवं पिण्डारी आदि लुटेरों ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह लूट लिया था।

राजा या सामन्त किसी भी जाति की बहू का उपभोग पहले खुद करता था। उसके उपभोग के बाद ही उसका पति उपभोग कर सकता था। (9)

सिद्धान्त एवं उपदेश :- बुद्ध के समान सम्बोधि 1 को उपलब्ध होने के बाद घासीदास ने जो संदेश (उपदेश), सिद्धान्त, वाणियों दी वह उनके जीवन भर की त्याग-तपस्या और अनुभव का निचोड़ था।

घासीदास की 42 वाणियों (उपदेश) और सात सिद्धान्तों की मान्यता को सभी लेखक एक स्वर से स्वीकार करते हैं।

उनकी सात शिक्षाएं (सिद्धान्त) सतनाम-दर्शन के प्रमुख आधार स्तंभ हैं-

डॉ. गोकर्ण दुबे प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष-हिन्दी, डी. पी. विप्र महावि. बिलासपुर (छ.ग.)

हेमन्त पाल घृतलहरे, प्राचार्य, संत शिक्षामणि गुरु घासीदास महावि. पामगढ़ (छ.ग.)

1. - मूर्ति पूजा मत करो।
2. - मानव मानव एक समान हैं। जाति भेद मत मानो।
3. - पराई स्त्री को माता जानो।
4. - अपरान्ह (दोपहर के बाद) खेतों में हल मत चलाओ। गाय और भैंस को हल में न जोतो।
5. - शराब व मादक पदार्थों का सेवन मत करो।
6. - मांस और उसकी समानता रखने वाले पदार्थों का सेवन मत करो।
7. - सत्य ही ईश्वर है। एक मात्र सतनाम की उपासना करो।

ये सिद्धान्त आज के समय में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी, अनुकरणीय और प्रार्थनिक हैं। सामाजिक क्रांति :- "जब हम सामाजिक क्रांति की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य, विद्रोह, बगावत, बलवा, तोड़-फोड़ या सैनिक बगावत, राजनीतिक विद्रोह और गदर आदि नहीं होता, बल्कि सामाजिक क्रांति का अर्थ होता है -परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में होने वाले मूलभूत परिवर्तन से, जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होकर नवीन रूप धारण कर लेता है।"⁽¹⁰⁾

घासीदास अपने युग की सामाजिक विषमता से अत्यंत क्षुब्ध थे। अपने बंधुजनों के प्रति किए जा रहे अन्याय, अत्याचार और अपमान से बहुत दुःखी थे। अपने जीवन के कटु व लम्बे अनुभव से वह सारे षडयंत्र को समझ चुके थे।

"आखिरकार उन्होंने 1820 ई. में "पूर्ण सामाजिक समानता" का नारा दिया था तथा अन्याय और अत्याचार से निपटने के लिए दृढ़ प्रजिज्ञ हो गए। भारतीय इतिहास में यह एक सबसे बड़ी उलट-पुलट थी। जिससे जाति व्यवस्था का पारम्परिक ढांचा ही लड़खड़ा देने लगा।"⁽¹¹⁾

चीशोल्य (1868 : 45)⁽¹²⁾ ने इसे "सामाजिक क्रांति" कहा है। यह क्रांति 1820-1830 तक सतनाम आन्दोलन के रूप में चली थी। ग्राण्ट (1870 : Cxxix)⁽¹³⁾ के अनुसार - "सदियों के सामाजिक दमन से मुक्ति पाने के लिए घासीदास ने जो सिद्धान्त आविष्कृत किए थे अत्यंत परिष्कृत थे। अतीत के सभी निंदामूलक विशेषणों को उन्होंने पूरी तरह से दफन कर दिया।"

जातिभेद पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने

सामाजिक एकता पर बल दिया। इससे गरीब, दलित, शोषित वर्ग एकजुट होने लगा। और समूचा हिन्दू समाज इनके विरुद्ध हो गया। छत्तीसगढ़ में आन्दोलन की स्थिति निर्मित हो गई।

'गुरु घासीदास इन सबसे डरने के बजाय निर्भय होकर अकेले ही अपने तीन लाख अनुयायियों के साथ मोर्चा लेते रहे। लम्बे संघर्ष के बाद इनकी 'हीनभावना' दूर हुई और उन्होंने दूसरी जातियों की सम्प्रभुता को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।"⁽¹⁴⁾

"घासीदास ने मनु की बनाई हुई सामाजिक वर्ण व्यवस्था को ही उलट-पुलट दिया उनके उपदेशों से समाज में नई चेतना और क्रांति घटित हुई।

दलितों ने अपने आपको ब्राह्मण घोषित कर दिया और ब्राह्मणों को अस्पृश्य माना। ऊपर की चीजे नीचे आ गई और नीचे की चीजे ऊपर।"⁽¹⁵⁾

दलित उच्च जाति यथा राजपूतों की बोली का अनुकरण भय के कारण नहीं कर सकते थे कि कहीं उच्च जाति के लोग उन से नराज न हो जाए। यहां तक कि वे उच्च जाति के व्यक्ति के पास भी नहीं जा सकते थे।

"A Shudra was Prohibited by the severest penalties from approaching with in a certain distance of a member of any higher castes."⁽¹⁶⁾

गुरु घासीदास ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया अब उनके अनुयायी बराबर में बात करने लगे यदि उन्हें गालियां दी जाती तो बदले में वे भी ऐसा ही करते।

छत्तीसगढ़ की जनता निरक्षर थी और एवं दबाव पूर्वक सामन्तों, मालगुजारों एवं प्रशासकों ने उनसे उनकी जमीनें छीन ली थी जिसके प्रमाण थे किसानों के ऋण पत्र एवं साहूकार व मालगुजारों के कागजात। इन्हे के भय दिखाकर वे शोषण करते थे। दलित अच्छी तरह समझ चुके थे कि उनके नारकीय जीवन के लिए ये कागजात अत्याधिक जिम्मेदार हैं।

"जब वह घोर निराशा की स्थिति में पहुंची तो उसने जमींदारी, साहूकारी तथा सरकारी प्रभुत्व की साधन लिखित सामग्री को ही जला डाला जिनमें बंधक पत्र, दस्तावेज, पट्टा, रेहननामा, खाता, खतौनी तथा फाइलें थी।"⁽¹⁷⁾

शुक्ल (1995 : 109) ने दलितों की

अशिक्षा का कारण जमींदार व सर्वणों को नानते हुए लिखा है - कि वे इस बात के लिए विशेष सावधान थे कि दलितों और शोषितों को पाठशाला में प्रवेश न मिले।"⁽¹⁸⁾

परन्तु घासीदास ने उच्च आदर्शों, सिद्धान्तों एवं विचारों के द्वारा उनमें बौद्धिक चेतना व तर्क का विकास किया जिससे वे निरक्षर होते हुए भी जागरूक, संगठित और संघर्षशील बने रह सके।

मनु की व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च था फिर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की स्थिति निम्न व दयनीय थी। दलित दूर से धरती को छूकर सर्वणों को प्रणाम करते और सिर नीचा करके चलते थे। वे कमर के ऊपर नंगे रहने को दिव्य थे।

घासीदास ने गुरु के पद को समाज में सर्वोच्च और पंशानुगत घोषित किया।"⁽¹⁹⁾ तथा अन्य किसी का भी पांव छूने से मना कर दिया। गुरु को छोड़कर शोषण आपस में समान है, वे एक दूसरे को 'सतनाम' कहकर अभिवादन करते हैं।

समाज के सभी सांस्कारिक क्रियाओं को ब्राह्मण ही सम्पन्न कराता था। परन्तु घासीदास ने इसे अस्वीकार करते हुए इसका भार गुरु को सौंप दिया। आज भी सतनामी अपने किसी सांस्कारिक क्रिया को ब्राह्मण से नहीं कराते बल्कि गुरु उन्हें सम्पन्न कराता है।

घासीदास के समय शूद्रों या दलितों को समान आसन पर बैठने का अधिकार नहीं था, वे सर्वणों से नीचे ही बैठते थे। परन्तु घासीदास ने इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया।

तुलसीदास ने लिखा है -...

ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी।

ये सब ताड़न के अधिकारी।।(रामचरित मानस)

उस काल में दलितों को कठोर शारीरिक यातनाएं, अर्धदण्ड व मृत्युदण्ड दिया जाता था। शारीरिक यातना की जो व्यवस्था मनु ने मनुस्मृति में की थी उसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। इन भयावह यातनाओं से समाज डरा, सहमा, मुक, पशुवत हो गया था।

पहली बार घासीदास ने उन्हें निडरता, साहस, आत्मसम्मान और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया और अन्याय का विरोध करने का आदेश दिया। प्रतिरोध न करने पर दण्ड का विधान था - "A Satnami is put out of caste if he is beaten by a man of another caste."⁽²⁰⁾

उस समय हिन्दू जातियां दलितों से

छुआछूत का भेदभाव करती थी। सार्वजनिक स्थल उनके लिए प्रतिबंधित थे। लोग उनके हाथ का पानी तक ग्रहण नहीं करते थे।

इसके लिए घासीदास ने उल्टा नियम बनाया ताकि पलड़ा सम पर आ सके। 'पंथ का यह नियम था कि किसी भी जाति हिन्दू या मुसलमान के हाथों पकाया हुआ भोजन सतनामी कभी ग्रहण न करे। कच्चा भोजन लेकर स्वतः पकाये।'⁽²¹⁾

ग्राण्ट (1870) के अनुसार ये अपनी जाति से बाहर के लोगों का छुआ पानी भी नहीं पीते थे।

राजा महाराजा ही उस काल में ऐंठी हुई ऊपर की ओर उठी मूछ रख सकते थे। निम्न जातियों को यह अधिकार न था। 'जब गुजरात के धनाढ्य तथा राजनैतिक रूप से अधिक ताकतवर पाटीदारों ने गांव के एक बरई मजदूर की मूछें तनी हुई देखी तो पहले उसकी मुछों को मुड़ा दिया और बाद में मटते हुए गांव से निकाल दिया।'⁽²²⁾

इस प्रथा के प्रत्युत्कार में सतनामियों ने ऐंठी हुई ऊपर की ओर मुड़ी हुई राजपूतों जैसी मूछें रखी।

अछूतों की महिलाएं हीरे-जवाहिरात नहीं पहन सकती थी (शुक्ल 1995 : 116)। रसेल तथा हीरालाल (द्वितीय खण्ड 1916 : 249) - गांवों में उच्च जाति के व्यक्ति के घर के सामने से गुजरते समय जूते उतार लिए जाते थे।

सतनामी महिलाएं अब नथनी पहनने लगी जो कि पहले केवल राजघराने की औरतें ही पहन सकती थी। सतनामी अब धोती के साथ कुर्ता भी पहनने लगे तथा सिर पर पगड़ी भी बांधने लगे। ऊंची जाति के लोगों के सामने भी वे अब जूता-चप्पल पहनने लगे।

हाथी की सवारी एवं छत्र का विधान राजा या सामन्त के लिए ही हो सकता था। लेकिन घासीदास ने इस परम्परा को तोड़ते हुए छत्र के साथ हाथी की सवारी की। बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनकर गुरु जब शोभयात्रा पर निकलते थे तब हाथियों पर सवार होते थे। उनके साथ घोड़े एवं ऊंट की सवारी भी होती थी।

ऊंची जाति के लोग सुन्दर सुसज्जित घर बनाते हैं। अतः घासीदास ने भण्डार में भव्य इमारत का निर्माण कराया जिसमें सोने के कलश और कंगूरे लगवाए।⁽²³⁾

गुरु घासीदास ने सबसे पहले अपने

स्वयं की कमियों और बुराइयों को दूर कर स्वयं को योग्य बनाने के लिए कहा ताकि बाहरी बुराइयों से वीरता पूर्वक लड़ा जा सके। उन्होंने सरल, जनमानस, की छत्तीसगढ़ी भाषा में उपदेश, प्रवचन दिए जो लोगों के हृदय को छूकर तदाकार, तदनुरूप, अंगीकृत हो गए।

रसेल तथा हीरालाल (1916, प्रथम खण्ड 315) के अनुसार सतनामी आन्दोलन के फलस्वरूप दलितों ने कृषकदासता या गुलामी की प्रथा को पूरी तरह उखाड़ फेंका था। उन्होंने उन अकाशांओं को भी जड़मूल से विनष्ट का दिया, जो उन्हें दास बनाए रखना चाहती थी।⁽²⁴⁾

घासीदास ने बलि प्रथा, हिंसा, धार्मिक, ढोंग-ढकोसलों, पितृमोक्ष मनाना, राम-राम कहना, शनि राहु, केतु के ग्रह नक्षत्रों में पड़ना छोड़कर अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। सामाजिक समानता एवं समरसता उनका उद्देश्य था। उनका कहना था कि मुझे स्वर्ग या धरती का राज्य नहीं चाहिए मैं तो केवल सामाजिक समानता चाहता हूँ।

जिस समय रूढ़ि-वदिता, धर्मान्धता, कट्टरता, का बोलबाला था, छत्तीसगढ़ अंचल वनों एवं प्रस्तरों से आच्छादित था, सत्तासीन लोग परम शत्रु थे ऐसे प्रतिकूल, हिंसक, अमानवीय, क्रूर, यर्ष्य युग में सदियों से अमानवीय संत्रास झेल रहे भारतीय दलित शोषित वर्ग को अमानवीय यातनाओं की बेड़ियां काटकर मानवता के खुले वातावरण में सांसे लेने की आजादी एक निपट निरक्षर ग्रामीण मजदूर घासीदास जैसे साधारण व्यक्ति ने दिलाई यह विश्व के इतिहास में अत्यंत असाधारण घटना थी। घासीदास की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्रांति (1820-30) ने ही घासीदास को असाधारण व्यक्तित्व में रूपान्तरित कर लोक नायक - जनमानस चितेरा-दलित नेता, प्रातः स्मरणीय, विश्ववन्दनीय, गुरु घासीदास बना दिया। उनके कार्य एवं उपदेश आज की आवश्यकता हैं।

संदर्भ सूची :-

1. श्री गुरु घासीदास नामायण - मनोहर दाम नृसिंह द्वितीय संशोधित संस्करण 2001 आदिकाण्ड दोहा-36 पेज 42
2. वही पेज 49 दोहा - 45-46
3. वही पेज 112 दोहा - 141, 142
4. वही पेज 117 दोहा - 151
5. हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था-इरावती कर्वे (अनुवादक-गोपाल भारद्वाज) नई दिल्ली 1975 पेज (79)

6. गुरु घासीदासः संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत- डॉ. हीरालाल शुक्ल (प. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल) 1995 पेज 8

7. वही पेज- 32

8. वही पेज- 34

9. वही पेज- 25

10. यूनीफाइड समाजशास्त्र (प्रथम वर्ष)- ए. पी. श्रीवास्तव (रामप्रसाद एण्ड संस, भोपाल) पेज-243

11. गुरु घासीदासः संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत- डॉ. हीरालाल शुक्ल (भोपाल) 1995- पेज 129

12. Report on the land Revenue Settlement of the Bilaspur District in the Central Provinces - J. W. Chisolm (Nagpur) 1868 page 45

13. The Gazetteer of Central Provinces- Charles Grant (Bombay) 1870page . c xxix

14. गुरु घासीदासः संघर्ष समन्वय और सिद्धांत डॉ. हीरालाल शुक्ल (भोपाल) 1995 पेज 129

15. वही पेज - 86-87

16. The Tribes and Castes of the Central Provinces of India- Russell and R. B. Hiralal (London) 1916, Reprint 1975 (Delhi) vol I

17. गुरु घासीदासः संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत डॉ. हीरालाल शुक्ल (भोपाल) 1995 पेज 109

18. वही

19. A History of Hindu Civilisation during British Rule vol. I (Religious Condition)- Pramatha Nath Bose (Asian Publication Services New Delhi) 1982 पेज 118

20. The Tribes and Castes of the Central Provinces of India- R. V. Russell and R.B. Hiralal London (1916), Reprint 1975 (Delhi) vol . I page - 314

21. वही

22. गुरु घासीदासः संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत - डॉ. हीरालाल शुक्ल (भोपाल) 1995 पेज 116

23. The Tribes and Castes of the Central Provinces of India Russell and R. B. Hiralal (London) 1916, Reprint 1975 (Delhi) vol I page 311

24. वही पेज - 315